उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या– 98/IX-1/26/2015

देहरादूनः दिनांक 09 ~~जनवरी~~ फरवरी 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति

राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में सुधार लाने के लिये **उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति** निम्न लिखित रूप में हैः–

उद्देशिका

1:– हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं, घायल होने और मौत हो जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार अत्यंत चिंतित है। सरकार मानती है कि ये दुर्घटनाएं अब जन स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है और पीड़ित व्यक्ति अधिकांश रूप से निर्धन और सुभेद्य दुर्बल लोग होते हैं।

2:– उत्तराखण्ड सरकार आगे यह भी मानती है कि चूंकि सड़क दुर्घटनाओं में मानवों के साथ–साथ वाहन और मार्ग भी सम्मिलित होते हैं। अतः इस समस्या को एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। वह यह भी मानती है कि अधिकारिता का विचार किये बिना भी मार्ग दुर्घटनाओं, घायल होने और मौत हो जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

3:– इस आलोक में, उत्तराखण्ड सरकार अपनी इस उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति के माध्यम से, सड़क दुर्घटनाओं में परिणित होने वाली मृत्यु संख्या और विकृति में भारी कमी लाने के लिए अपनी संकल्पता व्यक्त करती है।

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति

सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी लाने के लिये उत्तराखण्ड सरकार निम्नानुसार संकल्पबद्ध हैः

(i) सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दों पर जागृति पैदा करना।

सरकार, सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के संबंध में जागृति पैदा करने के अपने प्रयासों में वृद्धि करेगी और यह देखेगी कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती समस्या का निराकरण कैसे किया जाये। इस के द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अपनी भूमिका निभाने में योग्य और सशक्त होंगे।

(ii) सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस स्थापित करना

फौरी अन्वेषण और डाटा संकलन, पारेषण और विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सरकार स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करेगी। इस गतिविधि को निरंतरता व नीतिगत निर्देश प्रदान करने के लिये एक राज्य सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(iii) सुरक्षित मार्ग अवसंरचना सुनिश्चित करना

सरकार, ग्रामीण और शहरी सड़कों के डिजायन में सुरक्षा से संबंधित मानकों की समीक्षा के उपाय करेगी और राज्य की यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत उन्हें सर्वश्रेष्ठ चलनों के अनुरूप बनायेगी। एक सुरक्षित और दक्ष यातायात प्रणाली स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय संरचना के अधीन इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) की प्रयोज्यता की निरंतरता को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) सुरक्षित वाहन

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेगी कि सड़क का उपयोग करने वालों (पैदल चलने वालों और साइकल चलाने वालों सहित) पर वाहन चालन के प्रतिकूल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मानकों व चलनों के अनुसार मोटरीकृत और अमोटरीकृत वाहनों के डिजायन, सन्निर्माण, उपयोग, प्रचालन और अनुरक्षण के चरण में ही सुरक्षा के फीचर्स निर्मित किये जायें।

(v) सुरक्षित चालक

सरकार, चालकों की सक्षमता में सुधार लाने के लिये चालकों की लाइसेन्सिंग और उनके प्रशिक्षण की प्रणाली को सशक्त करेगी।

(vi) सुभेद्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा

सभी सड़क सुविधाओं (ग्रामीण व शहरी) के डिजायन और निर्माण के समय अमोटरीकृत यातायात और सुभेद्य व विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जायेगा। इस संबंध में सरकार नगर नियोजकों, आर्किटेक्ट्स और हाइवे व ट्रैफिक इन्जीनियर्स को 'श्रेष्ठ चलनों ' की जानकारी लेने को कहेगी।

(vii) **सड़क यातायात सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण**

शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के द्वारा जनता के बीच सडक सुरक्षा जानकारी और जागरूकता का प्रसार किया जायेगा। स्कूल जाने वाले बच्चों और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर सडक सुरक्षा शिक्षा का ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। जब कि समुदाय के मध्य अच्छे सुरक्षा तरीकों का प्रचार करने के लिये सड़क सुरक्षा प्रचार अभियानों का उपयोग किया जायेगा। सरकार, सड़क डिजायन, सड़क निर्माण,सड़क नेटवर्क प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और विधि प्रवर्तन से जुड़े सभी वृत्तिकों को सड़क सुरक्षा विषयों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

(viii) **सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन**

सुरक्षा कानूनों का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये सरकार, प्रवर्तन की गुणता को सुदृढ़ करने और सुधारने के लिये उपयुक्त उपाय करेगी। सरकार यथोचित रूप से, केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर हाइवे पेट्रोलिंग स्थापित करने और उसे सुदृढ़ करने के लिये सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगी।

(ix) **सड़क दुर्घटनाओं के लिये आपात चिकित्सा सेवाएं**

सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि दुर्घटना से प्रभावित सभी व्यक्ति त्वरित और प्रभावी ट्रॅामा केयर एंड मैनेजमेन्ट से लाभान्वित हों। ऐसी सेवाओं के अनिवार्य कार्यों में दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था तथा दुर्घटना स्थल से समीपस्थ चिकित्सालय तक पीड़ितों को ले जाने का प्रावधान सम्मिलित होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों के साथ लगने वाले चिकित्सालयों को ट्रॅामा केयर तथा पुनर्वास प्रदान करने के लिये पर्याप्त रूप से साधन सम्पन्न किया जायेगा।

(x) **सड़क सुरक्षा हेतु एचआरडी और शोध**

सरकार, प्राथमिकता क्षेत्रों को चिह्नित कर उन क्षेत्रों में शोध की पर्याप्त रूप से फंडिंग कर तथा शोध और शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित कर सड़क सुरक्षा शोध के कार्यक्रमों में बढ़ती हुई गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार प्रकाशन, प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वेबसाईट के द्वारा शोध के परिणामों तथा अच्छे चलनों के चिह्नित उदाहरणों के प्रसार को सुगम बनायेगी।

(xi) सड़क सुरक्षा हेतु योग्य विधिक, संस्थागत और वित्तीय वातावरण को सुदृढ़ करना

(xii) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपाय करेगी कि सड़क सुरक्षा हेतु अपेक्षित विधिक, संस्थागत और वित्तीय वातावरण और अधिक सुदृढ़ हो तथा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के प्रभावी समन्वय हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाये। इन क्षेत्रों में सुधारों से निजी क्षेत्र शिक्षण संस्थान और गैर सरकारी संगठनों की व्यापक भागीदारी प्राप्त होगी।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

III उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन पक्ष

सड़क सुरक्षा नीति को लागू करने के लिये प्रभावी कार्यनीति विकसित करने और सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने के लिये सरकार ने निम्नलिखित अभिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने सड़क संबंधी गतिविधियों के वित पोषण हेतु एक राज्य सड़क सुरक्षा निधि स्थापित करने का भी निर्णय लिया है:

(क) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्

उत्तराखण्ड राज्य में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215(2) के उपबंधों के अधीन 'राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' नाम से एक शीर्ष निकाय गठित किया गया है जो राज्य स्तर पर नीति निर्माता निकाय है। इसके अध्यक्ष माननीय परिवहन मंत्री हैं। इसमें 17 सदस्य हैं। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार बुलाई जाती है जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है तथा सरकार को इनके कियान्वयन पर सलाह दी जाती है।

(ख) जिला सड़क सुरक्षा समिति

जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिसका गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215(3) के उपबंधों के अधीन किया गया है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत है। इसके अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं तथा इसमें 07 सदस्य हैं। इसकी बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होती है जिसमें विभिन्न सड़क सुरक्षा उपाय, यथा, सड़क दुर्घटनाओं पर डाटा के संकलन और विश्लेषण की समीक्षा की जाती है। यह केस स्टडीज़ ले कर, जहां कहीं आवश्यक हो वहां इसके लिये उपाय करने हेतु दुर्घटनाओं के कारणों को चिहिनित करती है।

(ग) लीड एजेन्सी

उत्तराखण्ड राज्य में एक लीड एजेन्सी का गठन किया जायेगा जो राज्य सड़क सुरक्षा समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी और साथ ही राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी किया कलापों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी। इनमें पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य विभागों के कार्य सम्मिलित होंगे।

(घ) एक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ भी संरचित किया जायेगा जिसका मुख्य उद्‌देश्य उन दुर्घटना स्थलों का विश्लेषण करना होगा – जहां ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें कम से कम 10 (दस) मौत हुई हैं, सड़क दुर्घटना के कारणों के संबंध में केस स्टडी तैयार करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो उपायों के संबंध में सलाह देना। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में निम्नलिखित का समावेश होगाः–

(i) एक सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (या) परिवहन विभाग से मोटर यान निरीक्षक

(ii) पुलिस विभाग से एक पुलिस इन्सपेक्टर

(iii) लोक निर्माण विभाग या बीआरओ से एक सहायक अभियंता।

(ङ) सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन हेतु अर्न्तविभागीय टीम

प्रत्येक जनपद में एक अर्न्तविभागीय टीम का गठन किया जायेगा जिसका उद्‌देश्य होगा विभिन्न कोणों से सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन करना और सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों के विश्लेषण के पश्चात एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना। उपरोक्त टीम में पुलिस, राजमार्ग और परिवहन विभाग के अधिकारियों का समावेश होगा, जैसे किः

(i) पुलिस विभाग से एक पुलिस इन्सपेक्टर

(ii) एक सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (या) परिवहन विभाग से मोटर यान निरीक्षक

(iii) लोक निर्माण विभाग या बीआरओ से एक सहायक अभियंता।

उक्त टीम उसी दिन या अगले दिन प्रत्येक दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी तथा दुर्घटनाओं का विश्लेषणत्मक अध्ययन करेगी ताकि उसके कारणों का पता चल सके और भविष्य में उन्हे रोकने के उपाय किये जा सकें।

(च) सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली (आरएडीएमएस)

वाहनों की संख्या दिन –प्रतिदिन बढ़ रही है जिस के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस संबंध में, दुर्घटनाओं का सही डाटा प्राप्त होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नई प्रणाली विकसित करेगी जिसका नाम होगा दुर्घटना रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (एआरएमएस)।

इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा एकत्र कर उसका विश्लेषण करना है। इस के द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिये आवश्यक विभिन्न उपायों की पहचान करने, नये उपचारक तरीकों की योजना बनाने तथा पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन को कठोर करने में सहायता प्राप्त होगी।

इस योजना के तीन स्टेकहोल्डर्स विभाग हैं – पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग और बीआरओ। ये दुर्घटना रिपोर्ट प्रपत्र में प्रविष्टि करेंगे तथा इन प्रविष्टियों को दुर्घटना होने के तुरंत पश्चात उपरोक्त विभागों द्वारा आपस में शेयर किया जायेगा।

इस योजना की समीक्षा एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित का समावेश होगा:

(i) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
(ii) पुलिस विभाग से अधिकारी जो एडीजी से नीचे के रैंक का न हो
(iii) परिवहन विभाग से अधिकारी जो उप परिवहन आयुक्त से नीचे के रैंक का न हो।
(iv) निदेशक, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

(छ) सड़क सुरक्षा आयुक्त

सड़क सुरक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देने तथा सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को मॉनीटर करने के लिये सरकार, सड़क सुरक्षा आयुक्त के रूप में परिवहन आयुक्त को नामित करेगी। सड़क सुरक्षा आयुक्त के कर्तव्य और दायित्व निम्न लिखित रूप से होंगे:

(i) राज्य में अपनाई जाने वाली सड़क सुरक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना।
(ii) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करना।
(iii) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यों की निगरानी करना।
(iv) सड़क सुरक्षा निधि के अधीन वित्तीय सहायता हेतु विशिष्ट योजनाओं की सलाह देना और संस्तुति करना।
(v) दुर्घटना पीड़ितों को सरकारी योजना के अधीन उपलब्ध राहत उपायों को गति प्रदान करना।

(vi) सड़क उपयोगकर्ताओं को प्रदूषण के खतरे के प्रति जागरूक करने के अलावा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और परिवहन विभाग की गतिविधियों का समन्वय करना।

(vii) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना तथा अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पहचान करना।

(viii) चालकों, यात्रियों, पैदल चलने वालों, सायकल चलाने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिये सशक्त शिक्षा अभियान चलाना।

(ix) विभिन्न अभिकरणों के मध्य प्रभावी सामन्जस्य सुनिश्चित करना।

(ज) सरकार, प्रत्येक वर्ष विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यों के लिये निधि प्रदान करने की दृष्टि से, परिवहन विभाग द्वारा एकत्रित ग्रीन सैस की प्राप्तियों में से 'सड़क सुरक्षा निधि' नाम से एक निधि गठित करेगी। इस निधि को एक समिति द्वारा प्रशासित किया जायेगा जिस का अध्यक्ष परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड होगा और इसमें अन्य विभागों से ...... सदस्य होगे।

राजस्व वृद्धि के लिये, उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में निर्धारित किये गये अनुसार रजिस्ट्रेशन के समय वाहनों की सभी श्रेणियों पर ग्रीन सैस उद्ग्रहित किया जा रहा है।

(झ) सड़क सुरक्षा सप्ताह

सड़क का उपयोग करने वालों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिये प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में पूरे राज्य में जोर–शोर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

(ञ) आपात दुर्घटना राहत केन्द्र

आपात दुर्घटना राहत केन्द्रों की योजना वर्ष 2016 से प्रारम्भ होगी। ये केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय राजमार्गों में प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर कार्यरत रहेंगे।

इन आपात दुर्घटना राहत केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य है दुर्घटना होने पर पीड़ितों को तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और आगे के उपचार के लिये उनके चयनानुसार समीपस्थ चिकित्सालय तक उन्हे पहुंचाना।

ऐसे प्रत्येक केन्द्र में आवश्यक जीवनोपयोगी दवाएं और पैरामेडिकल स्टाफ़ उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, चालक के साथ एक एम्बुलेन्स चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। आपात दुर्घटना राहत केन्द्रों के लिये अनुरक्षण लागत हेतु सरकार सड़क सुरक्षा निधि में से निधि मंजूर करेगी।

सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का अमूल्य जीवन सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने अनेक पहल की हैं।

दुर्घटनाओं, उनमें होने वाली मौतों इत्यादि का विवरणं संलग्नक I व II में दिया गया है।

(ट) सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

सड़क दुर्घटनाओं में मांरे जाने वाले व्यक्तियों के वारिसों, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों और सार्वजनिक सेवा वाहनों से मामूली चोट लगने वाले व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा एकत्रित मोटर वाहन कर की प्राप्तियों में से 'दुर्घटना राहत कोश' नाम से कोश गठित किया है।

राहत राशि में सन 2007 से निम्नलिखित रूप से वृद्धि की गईः

क्रम सं0	हांनि की प्रकृति	2007 से प्रभावी प्रदत्त वित्तीय सहायता (रु.)
1	मृत्यु	50,000
2	स्थायी विकलांगता	50,000
3	गंभीर चोट	20,000
4	अन्य मामूली चोट	5,000

(ठ) दुर्घटना/शराब पी कर गाड़ी चलाने में संलग्न चालकों के विरुद्ध कार्रवाई

विभिन्न सड़क सुरक्षा प्रवर्तन गतिविधियों के एक भाग के रूप में रद्दीकरण अथवा निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई उन चालकों के लाईसेन्स पर की जा रही है जो /शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं। जब कभी पुलिस से ऐसे मामले प्राप्त होते हैं तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन कार्रवाई की जाती है। ड्राईविंग लाईसेन्स छः माह की अवधि के लिये निलंबित कर दिये जाते हैं तथा दोबारा यह अपराध करने पर रद्द कर दिये जाते हैं।

(ड़) सड़क सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सड़क सुरक्षा की योजनाओं को सरकार सख्ती से लागू करेगी।

(ढ) राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब के विक्रय पर पाबंदी

सरकार, राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब के विक्रय पर पाबंदी लगायेगी।

25/1/16

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।